पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2353

दिनांक-24.09.2025

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर विस्तार

- **'मिशन शक्ति' के तहत पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.09.2025 को म0उ0नि0 सपना यादव मय हमराह म0हे0का0 निशा श्रीवास्तव व ज्योति गोस्वामी के साथ मिशन शक्ति फेज-05 के तहत थाना क्षेत्र मे मौजूद थी कि थाना कार्यालय से डायल 112 के माध्यम से ग्राम मकदुमपुर के पास एक लड़का रोड पर खड़ा होकर आने जाने वाली लडकियो को देखकर सीटी बजा रहा है व अश्लील छींटा कशी कर रहा है।

उक्त कार्यालय की सूचना पर म0उ0नि0 सपना यादव मय हमराह फोर्स व तलबशुदा उ0नि0 उपेन्द्र गिरी व उ0नि0 आयुष यादव को हमराह कर मय पिंक पैन्थर मोबाईल के रवाना होकर ग्राम मकदुमपुर मोड़ के पास एक लड़का रोड पर खड़ा होकर आने जाने वाली लडकियों को देखकर सीटी बजा रहा है व अश्लील छींटा कशी कर रहा है।

इस पर म0उ0नि0 मय हमराह फोर्स के मौके पर पहुंच कर एक बारगी उस व्यक्ति को दस पन्द्रह कदम पर घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शिवम वर्मा पुत्र श्री गजराज वर्मा निवासी-ग्राम हरिवंश पुरवाँ थाना सकरन जनपद सीतापुर हाल पता-चियर इन होटल सेक्टर-4 थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष बताया। अश्लील गाने व टिप्पणी के सम्बन्ध मे पूछने पर अपनी गलती स्वीकार किया व माफी मांग रहा था पकड़े गये व्यक्ति का यह कृत्य धारा 296(ख) बीएनएस का दण्डनीय अपराध है।

अतः कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक-23.09.2025 को समय करीब 22.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया ।

02- पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 179/2025 धारा 296(ख) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शिवम वर्मा पुत्र गजराज वर्मा निवासी हालपता- ग्राम मकदूमपुर थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ मूलपता- ग्राम हरिवंश पुरवा थाना सकरन जनपद सीतापुर उम्र 22 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. म0उ0नि0 सपना यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
2. उ0नि0 आयुष यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
3. उ0नि0 उपेन्द्र गिरी थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
4. म0हे0का0 निशा श्रीवास्तव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
5. म0का0 ज्योति गोस्वामी थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2354

दिनांक-24.09.2025

जोन-मध्य/थाना-हजरतगंज

- 04 महीने पूर्व गुमशुदा हुए किशोर को बरामद कर उनके परिजनो को किया गया सुपुर्द

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्री अमित वर्मा ,श्रीमान पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्री आशीष श्रीवास्तव, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्री जितेन्द्र कुमार दूबे के कुशल निर्देशन एवं **श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज श्री विकास जायसवाल** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज की पुलिस टीम को महत्तवपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी। थाना हजरतगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2025 धारा-137(2) बीएनएस में गुमशुदा को दिनांक 23.09.2025 को बाराबंकी बस् स्टेशन के पास से बरामद किया गया। किशोर के परिजनो को बुलाकर उनके सुपुर्द किया गया। किशोर के परिजनो द्वारा हजरतगंज पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2025 को वादी मुकदमा राम प्रवेश मौर्या द्वारा अपने किशोर पुत्र के 04 माह पूर्व घर से बिना बताये कहीं चले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर प्रस्तुत किया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 251/2025 धारा-137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 मधुकर सिंह द्वारा की जा रही थी। अभियोग उपरोक्त में सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन व सर्विलांस टीम पुलिस उपायुक्त मध्य की सहयता से सुरागरसी पतारसी करते हुए गुमशुदा को बाराबंकी बस स्टेशन के पास से बरामद कर लिया गया। किशोर के परिजनो को बुलाकर उनके सुपुर्द किया गया।

03-गुमशुदा को बरामद करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 विकास कुमार सिंह , कोतवाली हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
2. आरक्षी अनुराग त्रिवेदी, कोतवाली हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2355

दिनांक-24.09.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना-पारा

- **हत्या का प्रयास करने वाले वांछित आरोपी 02 नफर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार ।**
- **घटना में प्रयुक्त 02 अदद लकड़ी का डण्डा बरामद ।**
- **थाना पारा पुलिस टीम की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.09.2025 की रात्रि सूर्यनगर क्रासिंग के पास मजरूब अमित सिंह को जान से मारने की नियत से मारने पीटने के सम्बन्ध में सूर्यनगर जलालपुर निवासी दीपक सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी थी। प्राप्त सूचना के क्रम में थाना पारा लखनऊ पर तत्काल मु0अ0सं0 673/2025 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/115(2)/351(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत होने के बाद से ही अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी। अभियुक्तगण अपने मोबाइल बन्द करके घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहे थे।

आज दिनांक 24.09.2025 को मुकदमा उपरोक्त की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. उदयराज उर्फ उदय यादव उर्फ राहुल पुत्र पदम उर्फ पदममन यादव निवासी मर्दन खेड़ा राजाजीपुरम थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष 2. पदम उर्फ पदममन यादव पुत्र स्व0 चन्द्रपाल यादव निवासी मर्दन खेड़ा राजाजीपुरम थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 51 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद लकड़ी का डण्डा बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 117(2)/352/324(4) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. उदयराज उर्फ उदय यादव उर्फ राहुल पुत्र पदम उर्फ पदममन यादव निवासी मर्दन खेड़ा राजाजीपुरम थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष
2. पदम उर्फ पदममन यादव पुत्र स्व0 चन्द्रपाल यादव निवासी मर्दन खेड़ा राजाजीपुरम थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 51 वर्ष

03-अभियुक्त पदम उर्फ पदममन यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 161/2017 धारा 323/352/504 भा0द0वि0 व 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना पारा जनपद लखनऊ

2.मु0अ0सं0 673/2025 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/115(2)/117(2)/352/351(3)/324(4) बी0एन0एस0 थाना पारा जनपद लखनऊ

04-अभियुक्त उदयराज उर्फ उदय यादव उर्फ राहुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 673/2025 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/115(2)/117(2)/352/351(3)/324(4) बी0एन0एस0 थाना पारा जनपद लखनऊ

05-बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त 02 अदद लकड़ी का डण्डा

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री सुरेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 राजू सिंह थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री सूबे चन्द्र यादव थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 श्री विकास यादव थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
5. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
6. का0 अजय कुमार थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2356
दिनांक- 24.09.2025

- **मिशन शक्ति: आत्मविश्वासी महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा का संदेश**
- **सभी थानों पर की गई मिशन शक्ति केन्द्रों की स्थापना**
- **महत्वपूर्ण स्थानों व पण्डालों के आस-पास भ्रमण करने वाली महिलाओं को भी किया गया जागरुक**
- **एन्टीरोमियो टीम द्वारा महिलाओं से अश्लील हरकरत करने वाले 01 संदिग्ध को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।**
- **लखनऊ कमिश्नरेट के 160 विभिन्न स्कूलों,थानों व अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों का किया गया आयोजन**
- **कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर देने वाली 05 छात्राओं को किया गया सम्मानित**
- **एन्टीरोमियो द्वारा 217 स्थानों पर किया गया पैदल गश्त**

कार्यवाही-

आज दिनांक 24.09.2025 में मिशन शक्ति अभियान के तीसरे दिवस सभी थाना स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किए जाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया।

इन कार्यक्रमों में ऐसी महिलाएं जो विपरीत परिस्थितियों से जूझकर अपने आत्म बल के दम पर समाज में एक बेहतर जीवन न सिर्फ अपने लिए बना रही है बल्कि अपने परिवार को भी सशक्त कर रही है उन्हें प्रोत्साहित करते हुए पुलिस कमिश्नरेट की महिला फोर्स के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी गणों द्वारा इन महिलाओं को सम्मानित किया।

मिशन शक्ति के आज के कार्यक्रमों का उद्देश्य था समाज में शक्ति स्वरूप आत्मनिर्भर महिलाओं के माध्यम से सुरक्षा और संबल का आह्वान जनता तक पहुंचाए ।

आज संपूर्ण कमिश्नरेट में 160 विभिन्न स्कूल,थानों व अन्य स्थानो पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

साथ ही साथ मिशन शक्ति अभियान में अनवरत की जा रही विभिन्न कार्यवाहियों के अंतर्गत अब तक **497 पूजा पंडालों व रामलीला मेला स्थलों का भ्रमण करते हुए करीब 5000 महिला एवं पुरुषों से जागरूकता संवाद** स्थापित किया है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेसनोट
दिनांक 24.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- चेन स्नैचर गिरोह के 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- 04 अदद मोटरसाइकिल, 04 अदद चैन, एवं सोने की बरामदगी के सम्बन्ध में।
- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।

कार्यवाही:-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर चेन स्नैचर अभियुक्तों 1. **वसीर अली** पुत्र शाबिर अली निवासी ग्राम मकऊखेड़ा थाना बिजनौर जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष 2. **सुमित सिंह** पुत्र शिव कुमार सिंह निवासी 5 ई,5/130 बृन्दावन कालोनी तेलीबांग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 20 वर्ष 3. **अरमान गिरि** पुत्र अशोक गिरि निवासी बी 24 जी 12 पीएम आवास सेक्टर 10 बी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ स्थाई पता ग्राम चकिया जमालपुर थाना बहरिया जिला बलिया उम्र 20 वर्ष 4. **सुधीर कुमार** पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम सभाखेड़ा एकतानगर थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 24 वर्ष को **उतरेटिया रेलवे स्टेशन से सेवई पुल की ओर जाने वाले रास्ते** के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण:-

- दिनांक 12/6/2025 को वादिनी अंजू गुप्ता निवासी टावर 3/601मंदाकिनी एन्क्लेव,अवध बिहार योजना द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 10/06/2025 को लगभग रात्रि 8.25 से 8.40 के बीच भागीरथी एन्क्लेव के पीछे वाली रोड सब्जी मंडी के रास्ते मंदाकिनी एन्क्लेव की और आ रही थी तभी अचानक दो अज्ञात युवक जो कि बाइक पर सवार थे उनकी गले से सोने की चैन झपट कर तेजी से भाग निकले। प्रकरण के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 523/2025 धारा 304 बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 27.07.2025 को वादिनी श्रीमती विनीता तिवारी पत्नी श्री योगेन्द्र कुमार तिवारी अस्थायी निवास-सी ब्लाक फ्लैट नं0 701 संतुष्टि एन्क्लेव-1 लखनऊ समय रात्रि 10 बजे कूड़ा व गाय के खाने की रोटी डालने बाहर सड़क मे तिराहे पर गयी थी, वापस आते समय अज्ञात व्यक्ति उनकी सोने की चेन खींचकर भाग गये। प्रकरण के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 659/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पंजीकृत किया गया।
- दिनांकः02/09/2025 को वादी शिवम गुप्ता निवासी प्रधान मंत्री सेक्टर -7 A,B-13,G-1 सुशान्त गोल्फ सिटी की माता जी की सोने की चेन 02 अज्ञात व्यक्ति खींचकर भाग गये। प्रकरण के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 782/2025 धारा 304 बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.09.2025 को श्रीमती आराधना चौधरी डी-1 /304 द्वारा सूचना दी गयी कि सुबह 08.00 बजे अपने गोमती एनक्लेक के निकास गेट के बायी तरफ वाले स्टाल से सामान लेने के लिए आयी थी। तभी कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी चेन छीन कर भाग गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 837/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पंजीकृत किया गया।
- विगत काफी समय से जोन दक्षिणी में चेन स्नैचिंग की घटना घटित हो रही थी जिनके अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया था, जिसमें सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी को भी लगाया गया था। इन टीमों द्वारा मैनुअल एवं टैक्निकल साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 24.09.2025 को चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 04 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण-

- अभियुक्त वसीर अली से पूछताछ में ज्ञात हुआ वह व सुमित दिनांक 22.09.2025 को सुमित की गाड़ी R15 से सुबह करीव 8.00 बजे गोमती इनक्लेव अवध विहार योजना के पास से एक महिला के गले से चैन छीनकर उतरेटिया रेलवे लाइन के किनारे से उतरेटिया पुल पार करके बृन्दावन की तरफ भाग गये थे गाड़ी सुमित चला रहा था और हेलमेट लगाया था मै पीछे बैठा था तथा मै गाड़ी से उतरकर डिवाइडर पार कर उस पार दुकान के पास खड़ी महिला के गले से चैन मैने छीना था
- दिनांक 27.07.2025 को दो माह पहले संतुष्टि इन्क्लेव के पास रात्रि के समय महिला के गले से चैन मै, अरमान व सुधीर ने मिलकर मोटरसाइकिल पैशन प्रो गाड़ी से छीनी थी, वह गाड़ी अरमान की थी। जिसे अरमान चला रहा था।
- दिनांक 21/09/2025 को उसने व सुमित ने बृन्दावन पीजीआई क्षेत्र सेक्टर 08 सी रेलवे लाइन किनारे अमेटी स्कूल वाली रोड पर से एक महिला के गले से चैन छीनने का प्रयास किया था किन्तु महिला के कान की बाली हाथ मे आ गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 476/2025 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत है।
- उसने व अरमान ने मिलकर लगभग 20 दिन पहले पीएम आवास सेक्टर 7 ए अवध विहार योजना मे दोपहर मे दुकान पर मौजूद एक महिला के गले से चैन मैने छीना था तथा अरमान मोटरसाइकिल चला रहा था। छीनी गयी चैन मैने अरमान को रखने के लिये दे दिया था।
- तत्पश्चात और सख्ती से पूछताछ की गयी तो बताया कि लगभग 3 माह पूर्व भागीरथी इन्क्लेव के पास सब्जी मण्डी से रात्रि के समय उसने व सुधीर ने मिलकर स्पेण्डर गाड़ी से महिला के गले से चैन छीना था गाड़ी सुधीर की थी जिसे वह चला रहा था उसके पास से बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध मे पूछा गया तो बताया कि साहब यह मोटरसाइकिल मेरे भाई समीम के नाम से है जो मेरे ही पास रहती है जिसका नं0 UP32QU9577 है। वाहन मे चेचिस नम्बर खुरचा हुआ है जिसके सम्बन्ध मे सख्ती से पूछा गया तो बताया कि साहब हम लोग मिलकर लूट की घटना कारित करते है तथा पकड़े जाने के डर से व गाड़ी की पहचान छिपाने हेतु उसके चेचिस नम्बर के कुछ नम्बर व अंक मिटा देते है आगे व पीछे के नम्बर प्लेट हटाकर या तोड़कर घटना कारित करते है।
- लगभग चार माह पूर्व वशीर व विजय नें वीवीआईपी रोड कृष्णानगर से महिला से छीनी थी, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 258/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है।

तत्पश्चात पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुमित सिंह से बरामद मोटरसाइकिल की जानकरी किये जाने पर ज्ञात हुआ कि बाइक दोस्त नईम के नाम पर ली थी तथा वह ही चलाता हैँ और गाड़ी की किस्त भरता हूँ गाड़ी मे आगे की तरफ आधी नम्बर प्लेट टूटी हुई लगी हुई है जिस पर 32QR अंकित है जिसका नं0 UP32QR7325 है पहचान छिपाने के लिये मैने गाड़ी मे पीछे नम्बर प्लेट हटा दिया है तथा आगे की नम्बर प्लेट आधी तोड़ दिया है

तत्पश्चात पकड़े गये तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम अरमान से पकडे गये वाहन मे आगे 32 KC व पीछे नम्बर प्लेट नही है वाहन का नम्बर पूछा गया तो बताया कि साहब इस गाड़ी का नम्बर UP32KC6441 जिसको चेक किया गया तो उक्त वाहन मीना गिरी पत्नी अशोक गिरि निवासी सेक्टर 6 सी/455 बृन्दावन योजना तेलीबाग चेचिस नं0 व वाहन के नम्बर हटाने सम्बन्ध मे पूछा गया तो बताया कि साहब मैने अपनी गाड़ी की पहचान छिपाने के लिए जानबूझकर चेचिस नं0 को मिटा दिया है।

तत्पश्चात पकड़े गये चौथे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम सुधीर कुमार से गाड़ी के बारे मे पूछा गया तो बताया कि साहब यह गाड़ी मेरे ही नाम पर है जिसका नम्बर UP32PF6202 है

वीआईपी रोड कृष्णानगर मे हुई चैन स्नैचिंग की घटना के सम्बन्ध मे जानकारी की गयी तो पता चला कि उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0 258/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत है तथा घटनास्थल एमिटी स्कूल बृन्दावन कालोनी सेक्टर 8 सी के पास रेलवे लाइन के किनारे जिसके सम्बन्ध मे थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 476/2025 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्तगण को उनके द्वारा किए गए अपराध का बोध कराते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया अभियुक्तगण द्वारा किये गये अपराध व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3(5)/317(2)/336(3)/338/340(2) बीएनस की बढ़ोत्तरी करते हुये नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

1. वसीर अली पुत्र शाबिर अली निवासी ग्राम मकऊखेड़ा थाना बिजनौर जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष
2. सुमित सिंह पुत्र शिव कुमार सिंह निवासी 5 ई,5/130 बृन्दावन कालोनी तेलीबांग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 20 वर्ष
3. अरमान गिरि पुत्र अशोक गिरि निवासी बी 24 जी 12 पीएम आवास सेक्टर 10 बी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष
4. सुधीर कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम सभाखेड़ा एकतानगर थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 24

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 837/2025 धारा 304(2)बीएनएस , थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
2. मु0अ0सं0 782/2025 धारा 304 बीएनएस, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
3. मु0अ0सं0 523/2025 धारा 304 बीएनएस , थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
4. मु0अ0सं0 659/2025धारा 304(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
5. मु0अ0सं0 476/2025 धारा 309(4) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ
6. मु0अ0सं0 258/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ

04-पूछतांछ विवरण-

अभियुक्तगणो द्वारा पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा एक राय होकर राह चलती अकेली महिलाओ के साथ अलग अलग बिना नम्बर की दो पाहिया वाहनो से चेन लूटने/छीनने की घटना कारित करते थे। वह आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करते थे।

05- नाम पता अभियुक्त व आपराधिक इतिहास

A. वसीर अली पुत्र शाबिर अली निवासी ग्राम मकऊखेड़ा थाना बिजनौर जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष

1. मु0अ0सं0 523/2025 धारा 304 बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 659/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 782/2025 धारा 304 बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 837/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ
5. मु0अ0सं0 258/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 476/2025 धारा 309(4) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

B. सुमित सिंह पुत्र शिव कुमार सिंह निवासी 5 ई, 5/130 बृन्दावन कालोनी तेलीबांग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 20 वर्ष

1. मु0अ0सं0 837/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 476/2025 धारा 309(4) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

C. अरमान गिरि पुत्र अशोक गिरि निवासी बी 24 जी 12 पीएम आवास सेक्टर 10 बी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष

1. मु0अ0सं0 659/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 782/2025 धारा 304 बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ

D. सुधीर कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम सभाखेड़ा एकतानगर थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 24 वर्ष

1. मु0अ0सं0 523/2025 धारा 304 बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 659/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 258/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 603/2021 धारा 379/411 बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

06-अभियुक्त का व्यवसाय-

1. अभि0 वसीर अली एग रोल का ठेला लगाता है।
2. अभि0 सुमित सिंह पढाई करता है।
3. अभि0 अरमान गिरि BLINK-IT मे डिलीवरी बॉय का काम करता है।
4. सुधीर कुमार प्रापर्टी डीलिंग का काम करता है।

07-बरामदगी-

1. 04 अदद चैन पीली धातु,
2. 02 अदद पीली धातु का टुकड़ा,
3. 04 अदद घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकल

- वाहन सं0 UP32QU9577, यामाहा , इंजन नं0 G3N4E0936544 चेचिस नं0 ME1RG686350151749
- वाहन सं0 UP32QR7325, R15, चेचिस नम्बर ME1GA925S0003647 इंजन नम्बर G3N4E0956805
- वाहन सं0 UP32KC6441 पैशन प्रो, चेचिस नं0 MBLJAS044JGH02382 इंजन नं0 JA06ETJGH08662
- वाहन सं0 UP32PF6202, स्पेलण्डर प्लस, चेचिस नं0 MBLHAW217R9A02882 तथा इन्जन नं0 इंजन नं0 HA11E7R9A09750

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, सर्विलांस सेल दक्षिणी जोन पुलिस टीम कमिश्नरेट लखनऊ।

नोट-पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 10 हजार के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।